Knowledgeable Research –Vol.1, No.11, *June 2023*

Web: http://www.knowledgeableresearch.com/

पंचायत राज की अवधारणा व विकास: एक अध्ययन

डा0 आशीष शाक्य
सी एम जे विश्वविद्यालय
शिलांग मेघालय
Email: monojkm.chaturvedi@gmail.com

****

ABSTRACT

संस्कृत शब्द से बना पंचायत जिसे स्वतन्त्र भारत के स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में पंचायती राज का नाम दिया गया यह व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का अभिन्न अंग है। जो कि आम जनता की लगभग सभी जरूरतों को पूरा करती है। इसीलिए स्थानीय स्वशासन को किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का महत्व इसमें भी है कि राजनीतिक पाठशाला के रूप में यह जनमा को राजनीतिक रूप से शिक्षित और प्रशिक्षित करने करने का काम करती है ये केन्द्र व राज्य सरकार के अधिनियम से बनी एक ऐसी शासकीय इकाई होती है जिसमें जिला नगर या ग्राम जैसे एक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर प्रदत्त निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और जो अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर प्रदत्त अधिकारों का उपयोग लोक कल्याण के लिए करते है अतः स्थानीय स्वशासन मात्र लोकतन्त्र का ही गुण नहीं है अपितु अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी स्थानीय स्वशासन की अवधारणा का प्रयोग जनता के करीब जाने के लिए किया जाता है। स्थानीय स्वशासन की विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचारों से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। हेराल्ड जे0 लास्की ने स्थानीय स्वशासन की महत्ता को स्पष्ट करते हुए स्वीकारा है कि '' हम लोकतन्त्रीय शासन में पूरा लाभ उस समय तक नहीं उठा सकते जब तक कि हम यह न मान लें कि सभी समस्याएॅ केन्द्रीय समस्याएॅ नहीं है और उन समस्याओं को उन्हीं स्थानों पर उन्हीं लोगो द्वारा हल किया जाना चाहिए' जो उन समस्याओं से सर्वाधिक प्रभावित होते है।''1

Keywords: *पंचायतए स्थानीय स्वशासनए लोकतन्त्रए लोक कल्याणए असम्प्रभु*

****

संस्कृत के शब्द से बना पंचायत जिसे स्वतन्त्र भारत के स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में पंचायती राज का नाम दिया गया यह व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का अभिन्न अंग है। जो कि आम जनता की लगभग सभी जरूरतों को पूरा करती है। इसीलिए स्थानीय स्वशासन को किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का महत्व इसमें भी है कि राजनीतिक पाठशाला के रूप में यह जनमा को राजनीतिक रूप से शिक्षित और प्रशिक्षित करने करने का काम करती है ये केन्द्र व राज्य सरकार के अधिनियम से बनी एक ऐसी शासकीय इकाई होती है जिसमें जिला नगर या ग्राम जैसे एक क्षेत्र की सीमाओं के

भीतर प्रदत्त निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और जो अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर प्रदत्त अधिकारों का उपयोग लोक कल्याण के लिए करते है अतः स्थानीय स्वशासन मात्र लोकतन्त्र का ही गुण नहीं है अपितु अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी स्थानीय स्वशासन की अवधारणा का प्रयोग जनता के करीब जाने के लिए किया जाता है। स्थानीय स्वशासन की विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचारों से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। हेराल्ड जे0 लास्की ने स्थानीय स्वशासन की महत्ता को स्पष्ट करते हुए स्वीकारा है कि '' हम लोकतन्त्रीय शासन में पूरा लाभ उस समय तक नहीं उठा सकते जब तक कि हम यह न मान लें कि सभी समस्याएॅ केन्द्रीय समस्याएॅ नहीं है और उन समस्याओं को उन्हीं स्थानों पर उन्हीं लोगो द्वारा हल किया जाना चाहिए' जो उन समस्याओं से सर्वाधिक प्रभावित होते है।''1 जी0 एम0 हैरिस ने माना है कि स्थानीय स्वशासन '' स्थानीय संस्थाओं द्वारा शासन है, जो कि स्वतन्त्र रूप से निर्वाचित हों, परन्तु राष्ट्रीय शासन की स्थापना कर सकता है किन्तु स्थानीय संस्थाओं के बिना स्वतन्त्रता की भावना नहीं रह सकती है।''3 एलेक्स टाकविली के शब्दों में '' नागरिकों की स्थानीय सभाएं, स्वतन्त्र लोगो के बल का निर्माण करती है। लोकतन्त्र के लिए ये सभा ठीक वैसे ही है जैसे कि विज्ञान के लिए शिक्षण संस्थाएॅ होती हैं। ये लोकतन्त्र को लोगों के निकट ले जाने का काम करती हैं। एक राष्ट्र स्वतन्त्र शासन की अर्न्तआत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता।''4 डब्लू0ए0 रोबसन का विचार है कि ''स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत क्षेत्रीय असम्प्रभु समुदायों की अवधारणा आती है, जिनके पास वैधानिक अधिकार हों तथा अपने मामलों के निष्पादन हेतु संगठन हों।''5 राष्ट्रपिता माहात्मा गांधी जी का मानना कि आत्मनिर्भर गॉवो के द्वारा ही वास्तविक लोकतन्त्र की प्राप्ति सम्भव है। इनके अनुसार '' स्वतन्त्रता स्थानीय स्तर से प्रारम्भ होनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक गॉव एक गणराज्य अथवा पंचायत राज होगा। प्रत्येक के पास पूर्ण सत्ता एवं शक्ति होगी। इसका अर्थ यह हैं कि प्रत्येक गॉव को आत्मनिर्भर होना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण करना होगा ताकि वह सम्पूर्ण प्रबन्ध स्वयं चला सके।''6 इसी प्रकार पंचायती राज के महत्व के सन्दर्भ में प0 नेहरू ने भी कहा था कि ''पंचायत सरकारी इमारत की नींव हैं। यदि यह नींव मजबूत नहीं होगी तो उस पर खड़ी हुई इमारत कमजोर होगी''7। इसी प्रकार जे0 जे0 क्लार्क द्वारा '' स्थानीय शासन किसी भी राष्ट्र अथवा राज्य की सरकार का वह भाग है जो कि मुख्यतः ऐसे मामलों से सम्बन्ध रखता है, जो कि किसी जनपद अथवा स्थान के निवासियों से स्म्बन्धित होते है''8। लास्की के शब्दों में कुछ प्रकार ''कोई भी लोकतन्त्र स्थानीय हित की उपेक्षा करके अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता।''9 डी0 टाक्यूविली के अनुसार '' ज्ञानोपार्जन के लिए जो महत्व प्रारम्भिक कक्षाओं का है, स्वतन्त्रता के लिए वही महत्व नगर सभाओं का है।''10 पंचायती राज के परिप्रेक्ष्य में फाइनर के अनुसार ''केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए स्थानीय स्वशासन सबसे अधिक उत्तम साधन है''11

उपर्युक्त विद्वानों द्वारा स्थानीय स्वशासन के सन्दर्भ में दिए हुए कथनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय शासन, स्थानीय संस्थाओं द्वारा शासन है, ओर उस स्थानीय संस्था का गठन स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से होता है। कुछ लोग स्थानीय स्वशासन और स्थानीय शासन को एक दूसरे का पर्याय मानते है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अर्थाें में यह भिन्नता उन देशों में अधिक है जहॉ कभी औपनिवेशिक शासन रहा था। स्थानीय स्वशासन और स्थानीय शासन वैसे तो एक ही हैं लेकिन इनमें कुछ मूलभूत अन्तर भी पाए जाते है जिस कारण ये दोनों एक-दूसरे से पृथक हो जाते हैं। स्थानीय शासन, सरकार को एक अभिकरण मात्र होता है और जिसका नियन्त्रण केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा ही चलाया जाता है जबकि स्थानीय स्वशासन अपने आप में परिपूर्ण होता है और इस पर किसी का कोई सीधा नियन्त्रण नहीं होता है। उदाहरण के लिए भारत में स्थानीय शासन वह है। जिसका मुखिया जिलाधिकारी होता हैं। इसके विपरीत स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत ग्राम पंचायतें नगर पालिकाएॅं और जिला पंचायतें जैसी संस्थाएं आती हैं। स्थानीय शासन अपनी नीतियां स्वयं निर्धारित नहीं करता अपितु वह शासन (सरकार) द्वारा निर्धारित नीतियों को ही लोगू करने का काम करता है। इसके विपरीत स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं ही नीतियां बनाती हैं और उनको लागू भी करवाती हैं। स्थानीय शासन का कामकाज करने वाले लोग शासन द्वारा नियुक्त किये जाते है जबकि स्थानीय स्वशासन का कार्यरत व्यक्ति जनता द्वारा निर्वाचित किये जाते है। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्वशासन लोकतन्त्र के अधिक निकट है। स्थानीय शासन को किसी प्रकार की स्वायत्ता हासिल नहीं होती है जबकि स्थानीय स्वशासन पूरी से स्वायत्व होता है। स्थानीय शासन में भ्रष्टाचार और लालफीताशाही होती है जबकि स्थानीय स्वशासन में ऐसा नहीं होता है।

जैसा कि कहा जाता है कि भारत में पंचायती राज की जड़े काफी गहरी हैं लेकिन एक और तथ्य यह है कि पंचायती राज अर्थात स्थानीय स्वशासन का लक्षण विदेशों में भी पाया जाता है। चाहे कोई सी भी शासन व्यवस्था हो लगभग हर अच्छा राष्ट्र अपने नागरिकों को स्थानीय स्वशासन देना चाहता हैं ताकि जनता की आकांक्षाएं आसानी से पूरी हो सकें।

इसलिए आगे विश्व के कुछ महत्वपूर्ण देशों को स्थानीय स्वशासन की चर्चा की गयी है। ग्रेट बिगटेन में स्थानीय शासन निर्वाचित स्थानीय निकायों का दायित्व है जो, कि अपने क्षेत्र के लोकतांत्रिक, प्रतिनिधि होते हैं तथा बिगटिश संसद द्वारा प्रदत्त अधिकारांे के अन्तर्गत स्थानीय सेवायें प्रदान करते हैं, तथापि जैसा कि, एलकॉक ने कहा है, ’’ब्रिटिश संविधान में स्थानीय शासन का स्थान अस्पष्ट तथा उभयभावी दोनों है। ब्रिटेन एक छोटा, घनी जनसंख्या वाला द्वीप समूह है, जिसमें केन्द्र सरकार शक्तिशाली हैं इसकी संस्कृति, भाषा अथवा आर्थिक संरचनाओं में क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय भिन्नताओं को बहुत कम मान्यता प्रदान की गयी है। तब भी स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं का अस्तित्व रहा है।’’12

ब्रिटिश स्थानीय शासन की उसके पश्चात्य इतिहास में गहरी जड़ंे हैं। इसके पूर्व कि ब्रिटेन में केन्द्र शासन के स्वरूप का निर्माण हुआ हो, स्थानीय शासन अस्तित्व में आ चुका था। इंग्लैण्ड में सैक्सन काल मे ही शायर, हन्डेªड तथा टाउन नामक स्थानीय

इकाइयों का जन्म हो चुका था, जिनसे यहाँ के निवासयों ने स्वयं पर शासन करने का प्रारम्भिक पाठ सीखा। यह वह काल था, जब संचार के साधन दुर्लभ थे तथा प्राचीन लोगों को सभ्य शासन को कोई अनुभव नहीं था। ऐसे में इंग्लैण्ड, जैसा कि जेन्कस ने दर्शाया है, ''एक ऐसा देश था, जिसमें स्थानीय हित शक्तिशाली थे, जिसके छोटे मोटे फैले हुए समुदाय, अपने ही माामलों में खोये हुए थे, तथा जिन्हें अपनी सीमाओं के बाहर का बहुत कम ज्ञान था।''13

प्राचीन में जड़े होने पर भी ब्रिटिश स्थानीय शासन स्वयं को निरन्तर परिवर्तित परिस्थितियों के साथ समायोजित करता रहा है। एक समय था, जब स्थानीय शासन की इकाइयाँ बहुत कम थीं, तथा उनके द्वारा अत्यधिक सीमित कार्य सम्पन्न किये जाते थे। जैसे-जैसे समय बदला तथा राजनीतिक चेतना वृद्धि हुई, न केवल स्थानीय शासन की इकाइयों की संख्या में वृद्धि हो गयीं, वरन उनके अधिकार-क्षेत्र में भी विस्तार हुआ। इसी प्रकार, समय के साथ ही स्थानीय शासन की व्यवस्था पूर्णतया लोकतान्त्रिक हो गयी और पूर्ण लोकतान्त्रीय स्वरूप प्राप्त करने के लिये स्थानीय शासन में एल्डरमैन के पद तक को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरा जाता था। परन्तु इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, पुराने इतिहास से स्थानीय शासन का सम्बन्ध पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ। अनेक प्राचीन संस्थायें आज भी विद्यमान हैं, यद्यपि उनकी प्रकृति, उनका संगठन तथा उनके कार्यों में परिवर्तन हो चुका हैं ब्रिटेन के स्थानीय शासन में विकास तथ समायोजन की यह प्रक्रिया किसी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार नहीं वरन् जैसा कि मनरो ने टिप्पणी की है, '' यह अधिकांशतः अनिर्देशित तथा अनियोजित रही है।''14 ऑग के अनुसार, ''संवैधानिक व्यवस्था के अन्य अंगों के समान स्थानीय शासन भी जीवित विकासशील तथा परिवर्तनशील रहा है''15।

ब्रिटिश स्थानीय शासन की व्यवस्था पूर्णतया लोकतन्त्रात्मक है। समस्त स्थानीय इकाइयाँ सीधे जनता द्वारा निर्वाचित हैं। प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हों, तो निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़ा भी हो सकता है। केवल अपवाद वे व्यक्ति हैं, जों कि मत देने अथ्वा चुनाव लड़ने के लिये किसी कारणवश अयोग्य न घोषित किये गये हों। प्रत्येक मतदाता को अपने क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त स्थानीय निकायों में मत देने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार स्टीवर्ट के अनुसार, '' स्थानीय शासन एक ऐसा साधन प्रदान करता है, जिसके द्वारा नागरिक स्थानीय मामलों पर नियन्त्रण रख सकते हैं तथा मत के माध्यम से अपनी इच्छ्छा व्यक्त कर सकते हैं।''16 पूर्व मे मतदान की यी प्रक्रिया बहुत ही थकाने वाली थी, क्योंकि विभिन्न स्तरों के स्थानीय निकायों के निर्वाचन भिन्न भिन्न तिथियों को सम्पन्न होते थे। अतः मतदाता को यह ध्यान में रखना पड़ता था कि किस तिथि को किस निकाय का चुनाव है। परन्तु 1974 में ब्रिटिश स्थानीय शासन के पुर्नगठन के पश्चात् इसे सरल कर दिया गया। अब सभी स्थानीय निर्वाचन, केवल कुछ अपवादों को छोड़कर, एक ही दिन सम्पन्न होते हैं, और यह दिन है, चुनाव वर्ष में मई का प्रथम बृहस्पतिवार। केवल विशेष परिस्थितियों में ब्रिटेन के गुह सचिव को इस तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार है।

स्थानीय शासन में लोकतन्त्र की मात्रा में वृद्धि करने के लिये 1974 के पुनर्गठन में एल्डरमैन का पद समाप्त कर दिया गया। इसके पूर्व एल्डरमैन भी जनता द्वारा निर्वाचित सभासदों के साथ स्थानीय परिषदों के सदस्य होते थे। परन्तु जहाँ सभासद सीधे जनता द्वारा निर्वाचित थे, वहीं एल्डरमैन सभासदों द्वारा निर्वाचित किये जाते थे। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने के कारण एल्डरमैन के पद को अलोकतान्त्रिक माना गया। यही कारण है जब स्थानीय शासन अधिनियम, 1972 के द्वारा एल्डरमैन का पद समाप्त किया गया, तो इसका किसी ने भी विरोध नहीं किया।

ब्रिटिश स्थानीय निकाय अत्यधिक कार्यों को सम्पन्न करते हैं। वे एक ओर उन सभी कार्यों को सम्पन्न करते हैं, जो कि स्थानीय स्तर की इकाइयों द्वारा किये जाने चाहिए, जैसे नालियों की व्यवस्था, कचरा एकत्र कर उसका निस्तारण, शिक्षा, मार्ग-प्रकाश, अक्षमता अथवा अपंगता में सहायता, नागरिक कल्याण तथा मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था। इनके अतिरिक्त वे परिवहन व्यवस्था, राजनीतिक नियोजन, पुलिस कार्य, अग्निशमन सेवायंे तथा राजमार्गों का निर्माण ताकि उसकी देख रेख भी करते हैं। 19 वीं शताब्दी के अन्त में स्थानीय इकाइयाँ जन लाभकारी सेवाओं, जैसे कि रसोई गैस तथा विद्युत, जन स्वास्थ्य, पुलिस, अन्य नियमनकारी कर्तव्यों का निर्वाह करती थीं। समय के साथ स्थानीय इन दायित्वों में विस्तार होता गया और उनके कार्यों में शिक्षा, आवास, वैयक्तिक, सामाजिक सेवायंे, अग्निशमन सेवायंे, पुलिस बल, कचरे को एकत्र करना तथा उसका निस्तारण, भूमि प्रयोग के लिये नियोजन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य तथा पुस्ताकालय भी सम्मिलित हो गये हैं।

ब्रिटेन में एकात्मक शासन है। अतः स्ाि ानीय केन्द्रीय नियन्त्रण के अधीन है। यह नियन्त्रण तीन प्रकार का है: विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय। विधायी नियन्त्रण का प्रयोग ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जाता है, जो कि स्थानीय शासन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है अथवा किसी भी कानून को समाप्त कर सकती है। प्रशासनिक नियन्त्रण केन्द्र के विभिन्न विभागों के माध्यम से स्थापित किया जाता है, परन्तु इस नियन्त्रण का दायित्व मुख्य रूप से पर्यावरण विभाग पर है, क्योंकि स्थानीय शासन इसी के अधीन होता है। वित्तीय नियन्त्रण केन्द्र द्वारा आरोपित करों, शुल्कों तथा ऋण लेने के निर्णयों को स्वीकृति देकर स्थापित किया जाता है, क्योंकि इस अनुदान से केन्द्र को यह जाँच करने का अधिकार मिल जाता है कि क्या अनुदान का प्रयोग निर्धारित कार्य के लिये किया जा रहा है तथा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं।

एक और प्रकार का नियन्त्रण भी है, यह है न्यायिक जो कि न्यायालयों के माध्यम से किया जाता है। ब्रिटेन में न्यायालयों को यह अधिकार है कि वे इस बात की जाँच कर सकें कि क्या स्थानीय निकायों के कार्य ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियमों की सीमा

के अन्दर हैं, और यदि हैं, और यदि ऐसा नहीं है, तो न्यायालय स्थानीय निकायों के ऐसे कार्याेंं को रद्द कर सकता है। परन्तु यह नियंत्रण न्यायालय तभी कर सकते हैं जब स्थानीय निकायों के कार्यों को चुनौती देने वाली कोई याचिका किसी नागरिक अथवा नागरिकों के द्वारा प्रस्तुत की जाय। दूसरे शब्दों में न्यायालय स्वयं में कुछ नहीं कर सकते।

ब्रिटेन में स्थानीय शासन की इकाइयाँ अत्यधिक स्वायत्ता का उपभोग करती हैं। यह स्वायत्ता तब भी है, जब कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन है जिसमें केन्द्र सरकार सर्वशक्तिशाली है तथा स्थानीय इकाइयाँ मात्र उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर पाती हैं, जो कि उन्हें केन्द्र द्वारा दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, जो अधिकार क्षेत्र केन्द्र द्वारा स्थानीय इकाइयों को प्रदान किये गये हैं उसमें अधिकांशतः स्थानीय इकाइयाँ जैसा चाहें, वैसा करने के लिये स्वतन्त्र हैं केन्द्रीय नियन्त्रण की आवश्यकता इसलिये पड़ती है ताकि स्थानीय इकाइयों का जैसा विकास तथा उनके कार्य में एकरूपता आ सकें। विश्व शक्ति अमेरिका एक समय में ब्रिटेन का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। इसका कारण यह है कि अमेरिका के प्रारम्भिक निवासी, ग्रेट ब्रिटेन से ही आए थे और वे अपने साथ ब्रिटेन की परम्पराओं को भी साथ लाए थे। अमेरिका मे कुल 50 राज्य हैं और वहॉ का संविधान संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में संघीय सरकार है जबकि राज्यों में अपनी अपनी सरकारें है। अमेरिका में एक संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक जामा पहनाया गया था। वहॉ स्थानीय स्वशासन संस्थाएॅ प्रांतीय सरकार निचले पायदान पर होती है और इस प्रकार वे सरकार का तीसरा स्तर बनाती हैं। वैसे अमेरिका में स्थानीय स्वाशासन की जड़े काफी गहरी और पुरानी है। पूर्व में वहां स्वैच्छिक अग्निशमन विभाग, जल, जनपद, शहरी सरकार और टाउन बैठकें जैसी संस्थाएं अस्तित्व में रह चुकी हैं। अमेरिका में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जाती है और अमेरिका संघ के विभिन्न राज्य अपने अपने तरीके से इन संस्थाओं को गठन करते हैं। एक अनुमान के अनुसार समूचे अमेरिका में 80 हजार से भी अधिक स्थानीय स्वशासन संस्थाएं अस्तित्व में हैं।

अमेरिका में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का गठन राज्य सरकारों द्वारा होते हुए भी सभी राज्यों की इन संस्थाओं में कुछ समानताएॅ देखने को मिलती हैं अर्द्ध नगर महापालिका और नगर महापालिका। अमेरिका में कुल 50 राज्यों में से कुल 48 राज्यों में काउन्टीज है। इनके अलावा सभी राज्यों में विशेष जनपद भी हैं। राज्यों में अर्द्ध नगर महापालिकाओं का गठन राज्य सरकार द्वारा अथवा काउन्टी द्वारा किया जाता है। इनके गठन में स्थानीय जनता की कोई भूमिका नहीं होती है। इसके विपरीत नगर महापालिकाओं का गटन आम जनता द्वारा निर्वाचन के जरिए किया जाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अब्बासायुल, वाय, बीय ए सोशियोजोजिकल स्टडी ऑफ शिड्युल्ड कास्ट लेजिसलेटर्सा ऑफ आन्द्र प्रदेश, एम.लिट्. थीसीस, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, 1974।

2. अब्बासायुल, वाय, बीय शिड्युल्ड कास्ट इलिटः ए स्टडी ऑफ इलिट इन आंध्र प्रदेश, प्रगति, हैदराबाद, 1978।

3. आप्टे, प्रभा, भारतीय समाज में नारी, क्लासिक पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1966।

4. बीजू, एम.आर.य डायनामिक्स ऑफ न्यू पंचायत राज सिस्टम, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1997।

5. भदौरिया, बी.पी.एसय एवं दुबे बी.के.य पंचायत राज एण्ड रूरल डैबलपमेंट, कामनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ल्ी, 1989।

6. भार्गव बी.एस.य पंचायत राज सिस्टम एण्ड पॉलिटिकल पार्टीज, आशीष पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली 1979।

7. भट्ट, जी.डीय इमर्जिग लीडरशिप पैटर्न इन रूरल इण्डिया, एम.डी. पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 1994।